https://www.dgll.nic.in/

भारत सरकार
पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय
"दीपभवन", गांधीनगर
कड़वंत्रा डाक, कोचीन – 682 020

Government of India
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
DIRECTORATE OF LIGHTHOUSES & LIGHTSHIPS
"Deep Bhavan", Gandhinagar
Kadavanthra P.O., Cochin – 682 020

दूरभाष/Tel : 0484-2205720 फ़ैक्स/Fax: 0484-2206608 ईमेल/Email: dte-koc@gov.in

MS-Coc-06002/1/2024-Admin दिनांक/Date: 09.11.2026

कोटेशन आमंत्रण सूचना / NOTICE INVITING QUOTATION

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनकी ओर से, निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, कोचीन – 20, 'शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट' के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठित फर्मों से, तंगाशेरी पॉइंट दीपस्तंभ, कोल्लम में कैफ़ेटेरिया के संचालन और रखरखाव के लिए सीलबंद कोटेशन आमंत्रित करते हैं। यह अनुबंध एक वर्ष के लिए होगा और यदि ठेकेदार का प्रदर्शन संतोषजनक रहता है, तो इसे अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।/For and on behalf of the President of India, the Director of Lighthouses and Lightships, Deep Bhavan, Cochin – 20, invites sealed quotations from reputed firms registered under the Shop and Establishment Act for the operation and maintenance of the cafeteria at Thangasseri Point Lighthouse, Kollam, for one year, and the contract may be extended for another two years subject to satisfactory performance of the contractor.

क्रम सं. SL. No.	विषय/Subject	विवरण / Description
1	कार्य का नाम / Name of Work	तंगाशेरी पॉइंट दीपस्तंभ में कैफेटेरिया का संचालन और रखरखाव/Operation and Maintenance of Cafeteria at Thangasseri Point Lighthouse, Kollam
2	स्थान / Location	तंगाशेरी पॉइंट दीपस्तंभ, कोल्लम/Thangasseri Point Lighthouse, Kollam, PIN: 691007
3	बयाना राशि / Earnest Money Deposit (EMD)	₹ 5250/-
4	कोटेशन के डाउनलोड की अवधि / Period of Download of Quotation	10.11.2026 (0900 hours) to 17.11.2026 (1200 hours)
5	कोटेशन प्रस्तुत करने की अवधि / Quotation Submission Period	10.11.2026 (0900 hours) to 17.11.2026 (1200 hours)
6	कोटेशन के खोलने की तिथि / Date of Openir g of Quotation	18.11.2026 (1500 hours)

1) कोटेशन आमंत्रित करने वाला नोटिस दस्तावेज़ सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP) की वेबसाइट http://eprocure.gov.in/epublish और DGLL की वेबसाइट www.dgll.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।/The Notice Inviting Quotation document can also be downloaded from the Central Public Procurement Portal (CPPP) website, http://eprocure.gov.in/epublish, and the DGLL website, www.dgll.nic.in.

2) बोली लगाने वालों को EMD (वापसी योग्य) किसी भी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट/फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (मूल रूप में) के रूप में जमा करना आवश्यक है, जो "निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, कोचीन" के पक्ष में जारी की गई हो और जिसका भुगतान एर्नाकुलम में किया जा सके।/Bidders are required to submit the refundable EMD in the form of a Demand Draft/Fixed Deposit Receipt (in original) issued by any scheduled bank, drawn in favour of "Director, Lighthouses and Lightships, Cochin", payable at Ernakulam.

3) आवश्यक EMD के साथ सीलबंद कोटेशन, कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले, निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, कोचीन – 20 को जमा किए जाने चाहिए; ऐसा न करने पर कोटेशन रद्द किया जा सकता है। डाक/कूरियर सेवाओं के माध्यम से परिवहन के दौरान होने वाली किसी भी देरी या नुकसान के लिए निदेशक जिम्मेदार नहीं होंगे।/Sealed quotations with the requisite EMD shall be submitted to the Director, Directorate of Lighthouses and Lightships, Cochin – 20, on or before the last date for submission of quotations, failing which the quotation shall be liable to be rejected. The Director shall not be responsible for any delay or loss during transit through postal/courier services.

4) NSIC/MSME में पंजीकृत फर्मों को वैध प्रमाण पत्र जमा करने पर EMD के भुगतान से छूट दी जा सकती है।/NSIC/MSME-registered firms may be exempted from payment of EMD on submission of valid certificates.

5) बोली लगाने वाला राशि को शब्दों और अंकों, दोनों में लिखेगा। यदि अंकों में दी गई राशि और शब्दों में लिखी गई राशि के बीच कोई अंतर होता है, तो केवल शब्दों में लिखी गई दर को ही मान्य माना जाएगा और रिकॉर्ड में स्वीकार किया जाएगा।/The bidder shall quote the amount both in words and figures. If there is any difference between the amount given in figures and that given in words, the rate quoted in words alone shall be taken into account and accepted on record.

6) सफल बोलीदाता का चयन, बोलीदाता द्वारा तीन अवधियों के लिए उद्धृत की गई उच्चतम राशि के आधार पर किया जाएगा।/The successful bidder shall be decided on the basis of the highest amount quoted by the bidder for all three tenures.

7) दरें संलग्न अनुसूची में दी जानी चाहिए, जिसे 'Annexure-I' के रूप में चिह्नित किया गया है। किसी अन्य रूप में दी गई दरें स्वीकार नहीं की जाएंगी।/The rates shall be quoted in the enclosed schedule marked as 'Annexure-I'. Rates quoted in any other form shall not be accepted.

8) सफल बोली लगाने वाले को 'लेटर ऑफ़ इंटेंट' (आशय पत्र) के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तदनुसार, सफल बोली लगाने वाले को ₹10,000/- की 'परफॉर्मेंस गारंटी' (निष्पादन गारंटी) जमा करनी होगी। यह गारंटी पूरी अनुबंध अवधि के दौरान वैध रहेगी। पहले 11 महीनों के लिए लाइसेंस शुल्क जमा करने के बाद 'वर्क ऑर्डर' (कार्य आदेश) जारी किया जाएगा। अनुबंध का संतोषजनक निष्पादन होने के बाद परफॉर्मेंस गारंटी जारी कर दी जाएगी।/The successful bidder shall be intimated by letter of intent. Accordingly, the successful bidder shall submit a Performance Guarantee of Rs. 10,000/-. It shall remain valid for the entire contract period. After submission of the licence fee for the first 11 months, the work order shall be issued. The Performance Guarantee shall be released after satisfactory completion of the contract.

निदेशक / DIRECTOR

तंगाशेरी पॉइंट दीपस्तंभ, कोल्लम में कैफेटेरिया के संचालन के लिए सामान्य नियम और शर्तें / GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPERATION OF CAFETERIA AT THANGASSERI POINT LIGHTHOUSE, KOLLAM

1. यह अनुबंध ग्यारह महीनों की अवधि के लिए आमंत्रित किया गया है और अनुबंध के पहले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर इसे अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाए जाने की संभावना है।/The contract is invited for a period of eleven months and is likely to be extended for another two years based on the performance during the first year of the contract.

2. ठेकेदार को किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, उसके दायरे और अनुबंध की शर्तों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए।/The contractor shall satisfy himself regarding the nature and scope of the work to be done and the conditions of the contract.

3. कैफ़ेटेरिया चलाने के लिए लाइसेंस शुल्क की न्यूनतम आरक्षित कीमत, पहली अवधि के लिए, ₹8285/- प्रति माह है। बोली लगाने वालों को निर्धारित आरक्षित कीमत से अधिक बोली लगानी होगी।/The minimum reserve price of the licence fee for operating the cafeteria is Rs. 8285/- per month for the first tenure. Bidders have to quote above the said reserve price.

4. यह अनुबंध ग्यारह महीने की अवधि के लिए आमंत्रित किया गया है और पिछले अनुबंध के 11 महीनों के प्रदर्शन के आधार पर इसे 11 महीने की दूसरी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। बोली लगाने वाले को आधार वर्ष (पहली अवधि) से कम से कम 5% की वृद्धि के साथ दरें बतानी होंगी; ऐसा न करने पर बोली को अस्वीकृत माना जाएगा।/The contract is invited for a period of eleven months and may be extended for another tenure of 11 months based on the performance of the earlier 11-month contract. The bidder shall quote rates with at least a 5% increase over the base year (first tenure), failing which the bid shall be considered rejected.

5. इच्छुक बोलीदाता 10.11.2026 से सभी कार्य दिवसों पर 10:00 बजे से 16:00 बजे के बीच साइट का निरीक्षण कर सकते हैं। बोली लगाने से पहले किसी भी प्रश्न के लिए कृपया इस कार्यालय के फ़ोन नंबर 0484-2205720 पर संपर्क करें। एक बार बोली जमा हो जाने के बाद किसी भी प्रकार के संवाद पर विचार नहीं किया जाएगा। बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय के बाद निरीक्षण के लिए किए गए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।/The interested bidders may inspect the site from 10.11.2026 onwards between 1000 hrs and 1600 hrs on all working days. Before quoting, for any queries please contact this office on telephone No. 0484-2205720. No communication whatsoever shall be entertained once the bid has been submitted. No request for inspection after the last date and time of submission of bids shall be accepted.

6. संलग्न अनुसूची में प्रस्तुत वह प्रस्ताव, जो निर्धारित तिथि और समय तक या उससे पहले प्राप्त हो जाए और जिसके साथ आवश्यक 'अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट' (Earnest Money Deposit) की राशि भी संलग्न हो, केवल उसी पर विचार किया जाएगा।/Only offers submitted in the enclosed schedule and received on or before the due date and time, accompanied by the required amount of Earnest Money Deposit, shall be considered.

7. बोली फ़ॉर्म के साथ, निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, कोचीन के पक्ष में डिमांड ड्राफ़्ट के रूप में बयाना राशि (Earnest Money) जमा करनी होगी। असफल बोली लगाने वाले की बयाना राशि, सफल बोली लगाने वाले को ठेका दिए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लौटा दी जाएगी। यह EMD (बयाना राशि) जमा करने की अंतिम तिथि से कम से कम 03 महीने तक वैध रहेगी।/The bid form shall be accompanied by the Earnest Money Deposit in the form of a Demand Draft in favour of the Director, Directorate of Lighthouses & Lightships,

Cochin. The EMD of the unsuccessful bidder shall be returned after finalization of the award to the successful bidder. The EMD shall be valid for at least 03 months from the last date of submission.

8. यदि सीलबंद बोलियों को खोलने के लिए निर्धारित दिन किसी भी कारणवश अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो उन्हें अगले तत्काल कार्य दिवस पर 15:00 बजे खोला जाएगा।/If the scheduled day for opening the sealed bids is declared a holiday for any reason, the bids shall be opened on the next immediate working day at 1500 hrs.

9. बोली लगाने वाले संबंधित सामान की खरीद के लिए राशि शब्दों और अंकों, दोनों में अंकित करेंगे; यदि अंकों में दी गई राशि और शब्दों में दी गई राशि के बीच कोई अंतर होता है, तो केवल शब्दों में अंकित दर को ही ध्यान में रखा जाएगा और रिकॉर्ड पर स्वीकार किया जाएगा।/The bidders shall quote the amount for the purchase of the subject stores both in words and figures. If there is any difference between the amounts given in figures and in words, the rate quoted in words alone shall be taken into account and accepted on record.

10. यदि, किसी भी कारणवश, सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है अथवा बोली प्रक्रिया से पीछे हट जाता है, तो ऐसे बोलीदाता द्वारा जमा की गई EMD ज़ब्त कर ली जाएगी।/If the highest bidder does not accept the offer for any reason whatsoever or withdraws from the bidding, the EMD deposited by such bidder shall be forfeited.

11. कैफेटेरिया के लिए उपलब्ध कराई गई बुनियादी सुविधाओं को अच्छी हालत में बनाए रखा जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान होने वाली किसी भी क्षति को किसी अनुमोदित एजेंसी द्वारा ठीक करवाया जाएगा और इसका खर्च ठेकेदार से वसूला जाएगा।/The basic infrastructure provided for the cafeteria shall be maintained in good condition. Any damage caused during the contract period shall be rectified by an approved agency, and the cost shall be recovered from the contractor.

12. बुनियादी ढांचे में अतिरिक्त विकास की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब यह आवश्यक हो और वह भी कैफ़ेटेरिया के आंतरिक क्षेत्र में, इस शर्त के साथ कि इससे भवन की मौजूदा आंतरिक या बाहरी बनावट पर कोई प्रभाव न पड़े।/Additional developments to the infrastructure shall be allowed only if necessary, in the internal area of the cafeteria, without affecting the existing internal or external appearance of the building.

13. कैफ़ेटेरिया सोमवार को छोड़कर हर दिन 10:00 बजे से 19:00 बजे तक खुला रहेगा।/The cafeteria shall be open from 10:00 hrs to 19:00 hrs every day except Monday.

14. रेफ्रिजरेटर, इंस्टेंट टी-कॉफी मेकर, मिक्सर आदि के उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। हालाँकि, बिजली का खर्च हर महीने कैफ़ेटेरिया ऑपरेटर द्वारा वहन किया जाएगा।/Power supply shall be provided for the use of refrigerator/instant tea-coffee maker/mixer, etc. However, the electricity charges shall be borne by the cafeteria operator every month.

15. बिजली की खपत के लिए एक अलग सब-मीटर लगाया जाएगा और इसका भुगतान ठेकेदार द्वारा हर महीने की 5 तारीख को या उससे पहले किया जाना होगा।/A separate sub-meter shall be installed for electricity consumption, and the payment shall be made by the contractor on or before the 5th of every month.

16. पानी का कनेक्शन उपलब्ध स्रोत से, उसकी उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा; हालाँकि, किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता की व्यवस्था ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी, और सफल बोलीदाता को समय-समय पर पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। कैफ़ेटेरिया शुरू करने से पहले ठेकेदार द्वारा पानी को फ़िल्टर करने की व्यवस्था की जाएगी।/Water connection shall be provided from the available source, subject to availability.

However, any additional requirement shall be arranged by the contractor at his own cost, and the successful bidder shall ensure the quality of water from time to time. Arrangements for filtering water shall be made by the contractor before starting the cafeteria.

17. कैफ़ेटेरिया में काम करने की अनुमति अधिकतम 4 (चार) व्यक्तियों को ही है, बशर्ते उन्होंने उचित पोशाक पहनी हो और उनके पास पहचान पत्र हो; साथ ही, उन्हें प्रतिदिन 19:15 बजे या उससे पहले सभी आसपास/कार्य क्षेत्रों की सफ़ाई करने के उपरांत दीपस्तंभ परिसर छोड़ देना चाहिए।/A maximum of 4 (four) persons shall be permitted to work in the cafeteria, provided they wear proper dress and carry identity cards. They shall leave the Lighthouse premises on or before 19:15 hrs every day after cleaning all the surrounding/working areas.

18. ठेकेदार अपने खाने-पीने की सामग्री को कैफेटेरिया में ताले की व्यवस्था के साथ सुरक्षित रखेगा और विभाग बिजली के सामान, फर्नीचर आदि किसी भी वस्तु की चोरी, नुकसान या क्षति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।/The contractor shall keep his eatables safely in the cafeteria with proper locking arrangements, and the Department shall not be responsible for any theft, loss or damage to electrical, furniture or other items.

19. ठेकेदार को उत्पाद पर अंकित/मुद्रित दर के अनुसार अच्छी गुणवत्ता और उचित मात्रा में विशिष्ट वस्तुएँ उपलब्ध करानी होंगी। किसी भी परिस्थिति में कैफ़ेटेरिया में किसी भी वस्तु को उसके MRP से अधिक मूल्य पर बेचना पूर्णतः वर्जित है।/The contractor shall provide specified items of good quality and in adequate quantity, as per the rate provided/printed on the product. Under no circumstances shall any item be sold in the cafeteria at a price higher than its MRP.

20. कैफ़ेटेरिया के संचालन के लिए संबंधित प्राधिकारी से वैध लाइसेंस/परमिट प्राप्त किया जाएगा।/A valid licence/permit shall be obtained from the concerned authority for the operation of the cafeteria.

21. कैफ़ेटेरिया में उपस्थित रहते समय कर्मचारियों को मादक पेय पदार्थों का सेवन, धूम्रपान या पान मसाला आदि नहीं चबाना चाहिए।/The staff shall not consume alcoholic beverages, smoke cigarettes, or chew pan masala, etc. while present at the cafeteria.

22. वैधानिक प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित वस्तुएँ कैफ़ेटेरिया में नहीं बेची जानी चाहिए।/Items prohibited by the statutory authorities shall not be sold in the cafeteria.

23. अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित सिगरेट, पान, पान मसाला, शराब या कोई भी नशीला पदार्थ कैफ़ेटेरिया में या स्टेशन परिसर के भीतर नहीं बेचा जाना चाहिए।/Cigarettes, pan, pan masala, alcohol or any intoxicating substances prohibited by the authorities shall not be sold in the cafeteria or within the station premises.

24. परिसर के अंदर खाना पकाने की अनुमति नहीं है; हालाँकि, ताज़े स्नैक्स आदि को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन और बिजली के उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है।/Cooking activities are not permitted inside the premises; however, a microwave oven and electrical appliances may be used for heating fresh snacks, etc.

25. अग्निशामक यंत्र ठेकेदार द्वारा लगाया जाना चाहिए।/A fire extinguisher shall be installed by the contractor.

26. यह कॉन्ट्रैक्ट भारत के कानून के तहत होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े या इससे संबंधित मुकदमे और दूसरी कानूनी कार्यवाही सिर्फ़ एर्नाकुलम/कोचीन की अदालतों में ही शुरू की जाएंगी।/The contract shall be governed by the

laws of India. Lawsuits and other proceedings arising out of or in connection with the contract shall be instituted only in the courts of law at Ernakulam/Cochin.

27. लाइटहाउस परिसर को 'प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र' घोषित किया गया है; अतः खाली बोतलें, प्लास्टिक के कवर आदि का निपटान ठेकेदार द्वारा प्रचलित नगरपालिका/निगम नियमों के अनुसार प्रतिदिन किया जाना चाहिए।/The Lighthouse premises are declared a plastic-free zone; accordingly, empty bottles, plastic covers, etc. shall be disposed of by the contractor daily as per the prevailing municipal/corporation rules.

28. ठेकेदार, तीन कार्यकाल की अनुबंध राशि के बराबर 'परफॉर्मेंस गारंटी' (निष्पादन गारंटी) जमा करने के बाद, निदेशालय के साथ उचित स्टाम्प पेपर पर एक समझौता करेगा; यह गारंटी अनुबंध की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर जारी कर दी जाएगी। ठेकेदार, प्रत्येक कार्यकाल के लिए लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से, 'निदेशक, दीपस्तंभ और लाइटशिप, कोचीन' के पक्ष में जारी किए गए और एर्नाकुलम में देय 'डिमांड ड्राफ्ट' के रूप में जमा करेगा। भुगतान की कट-ऑफ तिथि, समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि मानी जाएगी।/The contractor shall execute an agreement with the Directorate on appropriate stamp paper after remitting a Performance Guarantee equivalent to the contract amount for the three tenures, which shall be released on successful completion of the contract period. The contractor shall remit the licence fee for each tenure in advance in the form of a Demand Draft drawn in favour of the Director of Lighthouses and Lightships, Cochin, payable at Ernakulam. The cut-off date for payment shall be the date of execution of the agreement.

29. ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्ति को अपनी निजी स्वच्छता बनाए रखनी होगी, उसे अनुशासित होना चाहिए और जनता के साथ उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और इस संबंध में स्टेशन इंचार्ज का निर्णय अंतिम माना जाएगा।/The person deployed by the contractor must maintain personal hygiene, be disciplined, and behave properly with the public. Any complaint received against an individual shall be viewed seriously, and the decision of the Station In-charge shall be final in this regard.

30. एजेंसी स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जिसके लिए नियमित सफाई कार्यक्रम बनाए रखने चाहिए। मेज और कुर्सियों जैसी सतहों को दिन में कम से कम दो बार कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। हर भोजन परोसने के बाद फर्श को कीटाणुनाशक से पोंछा जाना चाहिए। काटने के तख्तों और काउंटरटॉप्स सहित भोजन के संपर्क में आने वाली सभी सतहों को हर काम के बाद साफ किया जाना चाहिए। कूड़ेदानों को नियमित रूप से खाली किया जाना चाहिए, उनमें लाइनर लगाए जाने चाहिए और दुर्गंध तथा कीटों को आकर्षित होने से रोकने के लिए उन्हें कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। पानी की लाइनों, जल निकासी और वायरिंग का नियमित निरीक्षण रिसाव और आग के खतरों को रोकने में मदद करता है। थर्मोस्टेट और दरवाजों की गैस्केट की नियमित जाँच भोजन को "खतरे वाले क्षेत्र" से दूर रखने के लिए आवश्यक है। चूहों या कीड़ों के संक्रमण को रोकने के लिए नियमित धूमन और नियमित निरीक्षण मानक हैं। संपत्ति के मूल्य और पेशेवर रूप को बनाए रखने के लिए दीवारों, खिड़कियों और ग्रिलों को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए।/The agency is responsible for maintaining a sanitary environment through structured cleaning schedules. Surfaces such as tables and chairs should be sanitized at least twice daily. Floors must be mopped with disinfectant after every service. All food-contact surfaces, including cutting boards and countertops, must be cleaned after every task. Bins should be emptied regularly, fitted with liners, and disinfected to prevent odours and pest attraction. Regular inspections of water lines, drainage, and wiring help prevent leaks and fire hazards. Regular checks of thermostats and door gaskets are essential to keep food out of the "danger zone". Regular fumigation and inspections are standard to prevent infestations by rodents or insects. Walls, windows, and grills should be cleaned routinely to maintain the property's value and professional appearance.

31. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को तभी काम पर लगाएगा, जब उसे निदेशालय से मंज़ूरी मिल जाए और वह उन कर्मचारियों का बायोडाटा (CV) विधिवत जमा कर दे। निदेशालय को कम से कम एक हफ़्ता पहले इसकी सूचना दी जाएगी और ठेकेदार को ऐसे सभी बदलावों के लिए, उनके CV के साथ, निदेशालय से मंज़ूरी लेना ज़रूरी होगा।/The contractor

shall deploy his personnel only after obtaining the Directorate's approval and duly submitting the curriculum vitae (CVs) of such personnel. The Directorate shall be informed at least one week in advance, and the contractor shall obtain the Directorate's approval for all such changes along with their CVs.

32. ठेकेदार इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप या हस्तांतरित नहीं करेगा और ठेकेदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि, काम के घंटों के दौरान कैफ़ेटेरिया की देखरेख और प्रबंधन करने के लिए कैफ़ेटेरिया में उपलब्ध रहेगा।/The contractor shall not assign or transfer any of his rights under the agreement to any other person, and the contractor or his/her authorized representative shall be available in the cafeteria to supervise and manage the cafeteria during working hours.

33. ठेकेदार, अनुबंध अवधि के दौरान श्रमिकों को होने वाली किसी भी दुर्घटना या क्षति के लिए ज़िम्मेदार होगा और वह अपने स्वयं के खर्च पर ऐसी चोट या क्षति की भरपाई करेगा और उसे ठीक करेगा।/The contractor shall be responsible for any accidents or injuries to the workers during the contract period and shall restore and make good such injury or damage at his own expense.

34. निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का बार-बार उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, सरकार के सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा जमा राशि को सरकारी खाते में ज़ब्त करने के बाद अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।/In case of repeated violations of the guidelines issued by the Directorate, the contract shall be terminated after forfeiting the security deposit to the Government account as per the general Government guidelines.

35. ठेकेदार को प्लास्टिक/पॉलिथीन के थैलों, कपों और ऐसी अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जो लागू सरकारी नियमों के विरुद्ध हों, पर्यावरण के लिए हानिकारक हों, या सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित हों।/The contractor should not use plastic/polythene bags, cups, and other such items that are against the Government rules in force, harmful to the environment, or banned by Government authorities.

36. कीमतों की सूची के साथ मेनू को काउंटर पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।/ The menu of items with price list should be displayed prominently at the counter.

37. सफल बोलीदाता द्वारा कचरा, खाली बोतलें और अन्य अपशिष्ट जमा करने तथा उनके परिसर के बाहर इनका उचित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान उपलब्ध किया जाए।/Adequate dustbins shall be provided by the succesfull bidder for collecting garbage, empty bottles, and any other waste and ensuring proper disposal outside the premises.

38. सफल बोली लगाने वाले को सभी संबंधित श्रम अधिनियमों और कानूनों का पालन करना होगा और उसके द्वारा काम पर लगाए गए श्रमिकों की सुरक्षा की पूरी ज़िम्मेदारी उसी की होगी। बोली लगाने वाले द्वारा काम पर लगाए गए व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की चोट लगने या जान-माल के नुकसान के किसी भी दावे के लिए विभाग को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।/The successful bidder shall comply with all relevant labour Acts and laws and shall be fully responsible for the safety of the labourers engaged by him. The Department shall not be held responsible for any claim arising from injury or loss of life whatsoever in respect of persons engaged by the bidder.

39. ठेकेदार स्थानीय और अन्य अधिकारियों द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क, कर आदि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। उसे कैंटीन चलाने के लिए केरल सरकार/भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त/नवीनीकृत करना होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए पूरी अनुबंध अवधि के दौरान कैफ़ेटेरिया में वैध लाइसेंस प्रदर्शित किया जाना चाहिए।/The contractor shall also be liable to pay any fees, taxes, etc.,

levied by the local and other authorities. He/she shall obtain/renew the licence for running the cafeteria from the appropriate authorities of the Government of Kerala/Government of India, and the valid licence shall be displayed in the cafeteria throughout the contract period for inspection by the competent authority.

40. दीपस्तंभ और इमारत के किसी भी रखरखाव कार्य के दौरान, परिसर आगंतुकों के लिए बंद रहेगा।/ During any maintenance work of Lighthouse & buildings, premises will be closed for visitors.

41. कोटेशन जमा करते समय, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ पूरी तरह से भरे हुए होने चाहिए। इसमें सभी आवश्यक शेड्यूल और अनुलग्नक (annexure) शामिल होने चाहिए, और दस्तावेज़ में बताई गई सभी शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में, इसके सभी पन्नों पर हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए।/Document submitted shall be duly filled in, all schedule and annexure as required, signed and stamped in all pages as a token of acceptance of all the conditions mentioned in the document, while submitting the Quotation.

42. यदि कोई सशर्त कोटेशन (भाव-प्रस्ताव) प्राप्त होते हैं, तो उन्हें अमान्य माना जाएगा और तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।/The conditional quotations, if any, shall be considered as non-responsive and shall be summarily rejected.

43. यदि ठेकेदार अनुबंध मिलने के 6 महीने के भीतर कैंटीन/कैफेटेरिया का संचालन बंद कर देता है, तो उसकी सुरक्षा जमा राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) जब्त कर ली जाएगी।/Security Deposit will be forfeited in case the Contractor terminates the functioning of the Canteen/Cafeteria within 6 months period from the award of the contract.

44. निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, कोचीन के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि ठेकेदार अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार काम करता हुआ नहीं पाया जाता है, तो वह अनुबंध को समाप्त कर सकता है; और ठेकेदार, अनुबंध की वास्तविक समाप्ति की तारीख तक की अवधि के दौरान अनुबंध के किसी भी नियम या शर्त के उल्लंघन के कारण विभाग को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा।/The Director, Directorate of Lighthouses and Lightships, Cochin reserves the right to terminate the contract if the contractor is found not to be working according to the terms and conditions, and the contractor shall be liable to make good the losses caused to the Department due to breach of any of the terms and conditions of the contract for the period up to the actual date of termination.

45. मुहरबंद कोटेशन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है।/The following documents are required to be submitted along with the sealed quotation:
 1) NSIC/MSME पंजीकरण प्रमाण पत्र या EMD/NSIC/MSME Registration Certificate or EMD.
 2) पैन कार्ड की प्रति/Copy of PAN Card.
 3) GST पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति/Copy of GST Registration Certificate.
 4) कैफ़ेटेरिया संचालित करने के लिए FSSAI से प्राप्त वैध परमिट/लाइसेंस की प्रति/Copy of the valid permit/licence from FSSAI to operate the cafeteria.

कैफ़ेटेरिया में बिक्री के लिए अनुमत वस्तुओं की सूची/List of items permitted for sale in the cafeteria.

- चाय/कॉफ़ी/Tea/Coffee
- मिनरल वॉटर/Mineral Water
- शीतल पेय/Soft Drinks
- कच्चा नारियल/Tender Coconut
- पॉपकॉर्न/आइसक्रीम/Popcorn/Ice Creams

- स्नैक्स - स्थानीय रूप से निर्मित/Snacks - Locally Made
- बिस्किट/चिप्स/चॉकलेट के आइटम/Biscuits/Chips/Chocolate Items
- ताज़ा जूस और शेक्स/Fresh Juices and Shakes
- फल/Fruits

बोलीकर्ता / Sign. of Bidder

निदेशक / Director

https://dgll.eoffice.gov.in/efile/#/draft/100DGLL0000132615/3/view?source=FILE&documentId=F00DGLL0000008117&viewParam=eyJkb2N1b...

10/11/2026, 10:20

PDF.js viewer

अनुसूची / SCHEDULE

कार्य का नाम / Name of Work: - तंगाशेरी पॉइंट दीपस्तंभ में कैफेटेरिया का संचालन और रखरखाव / Operation and Maintenance of Cafeteria at Thangasseri Point Lighthouse, Kollam

क्रम सं. \| S. No.	वस्तु का विवरण Description of items	मात्रा Qty	रेट Rate	यूनिट Unit	रकम / Amount in ₹
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(cxd)
1	Licence fee for operating the cafeteria in the building constructed on the Lighthouse premises at Thangasseri Point Lighthouse, Kollam district, as per the standard operational procedure annexed to the quotation.				
I	Payment shall be made to the Directorate for the first term of the period from 01.12.2026 (first eleven months).	11	Rs. - - - - - - (Rupees- -only	Per month	
II	Payment shall be made to the Directorate for the second term (for 11 months), subject to a minimum increase of 5% over the first-term monthly licence fee.	11	Rs. - - - - - - (Rupees- -only	Per month	
III	Payment shall be made to the Directorate for the third term (for 11 months), subject to a minimum increase of 5% over the second-term monthly licence fee.	11	Rs. - - - - - - (Rupees- -only	Per month	

कुल राशि / Total Amount:

बोलीकर्ता / BIDDER

निदेशक / DIRECTOR

10/10